कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक-4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708, Fax – 2262558 E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / सा.स्था.–05 / 151 / 2025 6447 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/8/25

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1–34 / 2022 / 25–1 दिनांक 06 सितम्बर, 2023 के द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ''द'' के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 एवं यथा संशोधित 2014 के नियम 6,8,12 एवं अनुसूची–3 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा के घोषित परिणाम दिनांक 30.12.2024 की प्रावीण्य सूची के आधार पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ''द'' के रिक्त पदों पर नीचे दर्शित कालम नं0–03 में चयनित अभ्यर्थियों को अधीक्षक श्रेणी ''द'' के पद पर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 (वेतनमान–मैट्रिक्स) लेवल–6 में उनके नाम सम्मुख कॉलम क्रं.–06 में दर्शित अनुसार सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के विकल्प पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है –

स. क्र.	छ.ग. व्यापम द्वारा जारी वरीयता क्रमांक	नाम	पिता का नाम	चयनित श्रेणी	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	114	भूपेन्द्र यादव	दशरथ यादव	अ. पि. वर्ग	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–कोरबा के विकल्प पर
2	117	खगेश नायक	दुर्गा चरण नायक	अ. पि. वर्ग	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–रायगढ़ के विकल्प पर
3	118	संदीप कुमार	रोहित कुमार	अ. पि. वर्ग	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–रायपुर के विकल्प पर
4	122	विष्णु गिरी	पालु राम	अ. पि. वर्ग	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–रायगढ़ के विकल्प पर
5	4040	स्मृति नेताम	राजेंद्र प्रसाद नेताम	अ.ज.जाति	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–कांकेर के विकल्प पर
6	4616	भावना ध्रुव	पी आर ध्रुव	अ.ज.जाति	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–कांकेर के विकल्प पर
7	2039	संध्या	जमुना प्रसाद	अनु. जाति	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–कांकेर के विकल्प पर
8	11251	रोशन लाल साहू	पुरन लाल साहू	अ. पि. वर्ग भू.सैनिक	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–धमतरी के विकल्प पर
9	51176	तोरण सिंह ठाकुर	बचन राम ठाकुर	अ.ज.जाति भू. सैनिक	कार्या. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–बालोद के विकल्प पर

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालयीन दिवस पर संबंधित सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी, कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उनका नियुक्ति आदेश स्वमेय निरस्त माना जावेगा तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति मेरिट क्रम में नियमानुसार एवं पात्रतानुसार की जायेगी।

18/8/2025

Scanned with OKEN Scanner

2. उम्मीदवारों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर की जाती है।
3. उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। अस्थाई नियुक्ति के दौरान इनकी सेवाए किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।
5. शासकीय सेवक द्वारा सेवा छोड़ने से पूर्व 03 माह का सूचना अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा। यदि शासकीय सेवक द्वारा इसके बिना सेवा छोड़ी जाती है, तो देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. उम्मीदवारों की नियुक्ति पुलिस चरित्र सत्यापन एवं जिला मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। पुलिस चरित्र सत्यापन में अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी।
7. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के आवेदको के जाति प्रमाण पत्र संदेहास्पद होने पर उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित कराया जायेगा। यदि संबंधित की जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो संबंधित की सेवा समाप्त करते हुए झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
8. छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि./नि./चार, दिनांक 11 मई 2022 के अनुसार, नियुक्त अभ्यर्थी के लिए नयी परिभाषित पुरानी पेंशन (ओ.पी.एस.) योजना लागू होगी।
9. छत्तीसगढ़ शासन, साामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ-13-4/2006/आ.प्र./1-3, नवा रायपुर, दिनांक 23.06.2013 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक-7 के संदर्भ में कार्य-भार ग्रहण करते समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
10. उपरोक्तानुसार सारणी में अंकित उम्मीदवारों को नियुक्ति उपरांत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम - 2010 के अध्याय 6 के नियम - 42 अंतर्गत प्रावधानित अध्ययन अवकाश की पात्रता पूर्ण हेने के पूर्व किसी प्रकार का अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, और न ही वे ऐसे अवकाश की मांग करेंगे। सेवा में उपस्थिति के समय कार्यालय प्रमुख को इस आशय का सहमति/शपथ पत्र अनिवार्य रूप से आवेदक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
11. नियुक्ति उपरांत उपस्थिति देने वाले छात्रावास अधीक्षक श्रेणी -'द' की वरिष्ठता सूची व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परीणाम में उल्लेखित वरीयता क्रम में निर्धारित किया जायेगा।
12. यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
13. नियुक्ति स्थान पर पद भार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, छ0ग0 मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी एवं 02 प्रतियों में स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र देना होगा।
15. अर्हता प्रमाण पत्र/दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति, बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूटरचित या फर्जी पाया जाता है तो उन्हें पद से बर्खास्त करने हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
16. पदस्थापना स्थान से आगामी तीन वर्षों तक स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

18/8/2025

(डॉ.सारांश मित्तर)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नया रायपुर, छत्तीसगढ

Scanned with OKEN Scanner

पृ. क्रमांक / सा.स्था.–05 / 151 / 2025 6448 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/8/25

प्रतिलिपि :–

1. **विशेष सहायक, मान. मंत्री जी,** छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **निज सहायक, प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. **कलेक्टर**, जिला ....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **परियोजना प्रशासक**, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, ...जिला .... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. **सहायक आयुक्त**, आदिवासी विकास, जिला– ....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं जिले में रिक्त पद पर पदस्थापना किये जाने बाबत्।
6. **जिला कोषालय अधिकारी**, जिला ....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. **संबंधित श्री / सुश्री** .... की ओर पालनार्थ।

18/8/2025

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

नया रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner